उत्तर प्रदेश शासन

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2

संख्या-13/2015/सीपी 445/84-2-2015-सीपी 6/2014

लखनऊ : दिनांक : 01 जून, 2015

अधिसूचना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (अधिनियम संख्या-68 सन् 1986) की धारा-10 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल उक्त धारा की उपधारा (1-क) के अधीन गठित चयन समिति की संस्तुति पर नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त अनूसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के, जिसे जिले का जिला फोरम के नाम से जाना जायेगा, **सामान्य सदस्य या महिला सदस्य**, जैसा कि स्तम्भ-5 में उल्लिखित है, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु, इनमें जो भी पूर्ववर्ती हो, तक के लिए नियुक्त करते हैं और उक्त अनुसूची में सम्मिलित जिला फोरम के गठन के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती अधिसूचनायें तद्-नुसार उपान्तरित हो जाएंगी।

2. निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व विज्ञापन में अपेक्षित अर्हताओं से सम्बन्धित अभिलेख तथा जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन के वांछना की संवीक्षा की पूर्ति अवश्य करा ली जाय।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला फोरम का नाम	नियुक्त व्यक्ति का नाम और पता	नियुक्त व्यक्ति की जन्म तिथि	पद का नाम
1	2	3	4	5
1	एटा	श्री भूपेन्द्र कुमार पुत्र श्री पूरन चन्द्र, ग्राम व पोस्ट भगीपुर, जनपद एटा।	10.06.1976	सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक)
2	बरेली प्रथम	मो0 कमर अहमद पुत्र श्री मो0 उमर 649, आजमनगर, बरेली।	08.10.1979	सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक)
3	सुल्तानपुर	श्रीमती विद्या यादव पत्नी श्री नरेन्द्र बहादुर यादव, ग्राम भगतीपुर, पोस्ट नरायनपुरकला (दोस्तपुर), सुल्तानपुर।	15.01.1961	सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक)

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4	कानपुर नगर	श्री पुरूषोत्तम सिंह पुत्र स्व0 श्री रामपाल सिंह (पुनर्नियुक्ति), ग्राम अमेना, पोस्ट-जफराबाद, तहसील- बिन्दकी, फतेहपुर।	02.07.1972	सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक)
5	फर्रूखाबाद	श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री संत राम यादव, ग्राम व पोस्ट सरैया माफी, थाना बल्दीराम, ब्लाक धनपतगंज, सुल्तानपुर।	26.08.1978	सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक)
6	बिजनौर	श्री नरेन्द्र सिंह तेवतिया पुत्र स्व0 श्री इख्तियार सिंह 4/4, विवेकखण्ड, गोमतीनगर थाने के सामने, गोमतीनगर, लखनऊ।	31.07.1953	सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक)
7	बागपत	श्रीमती निर्मला सिंह पुत्री श्री भगत सिंह वर्मा, सी-902, शुभकामना एपार्टमेंट, प्लाट नं0-एफ-31, से0 50, नोएडा, गौतमबुद्धनगर-201305	29.06.1961	सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक)
8	आगरा द्वितीय	श्रीमती प्रतिभा तोमर पत्नी श्री श्रीपाल सिंह तोमर, 47, कैलाश विहार, निकट खेल गांव, दयालबाग, आगरा।	25.09.1974	महिला सदस्य (पूर्णकालिक)
9	सीतापुर	श्रीमती रेनू सक्सेना पत्नी श्री सुनील कुमार सक्सेना (पुनर्नियुक्ति), 340/58, बी0एल0 तिवारी रोड, मेंहदी गंज, लखनऊ।	05.06.1967	महिला सदस्य (पूर्णकालिक)
10	रामपुर	श्रीमती शाहला अकबर पत्नी श्री अकबर मसूद, ए-14, आईसीआईसीआई बैंक, ग्रीन वैली कालोनी डायमंड रोड, रामपुर।	11.05.1965	महिला सदस्य (पूर्णकालिक)
11	चन्दौली	श्रीमती शशी यादव पत्नी श्री अजय कुमार यादव सी- 20/14, पिशाच मोचन, चेतगंज,	01.01.1968	महिला सदस्य (पूर्णकालिक)

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		वाराणसी। (दिनांक 31.05.2015 से प्रभावी)		

आज्ञा से,

बी0 एम0 मीना
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 13/2015/सीपी 445(1)/84-2-2015-सीपी 6/2014 तद दिनांक

प्रतिलिपि - अधिसूचना के अंग्रेजी रूपान्तर सहित, निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को आज दिनांक 01 जून, 2015 के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

हरिश्चन्द्र
अनु सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 13/2015/सीपी 445(2)/84-2-2015-सीपी 6/2014 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।

(2) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(3) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि नियुक्त अभ्यर्थी/ अभ्यर्थिनी की आयु शैक्षिक योग्यता, अनुभव एवं सम्बन्धित अभिलेखों को मूल प्रमाण-पत्रों से जांच लें तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेषित किये गये चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट अवश्य देख लें और इन सभी के सही होने की दशा में ही नियुक्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को सम्बन्धित जिला उपभोक्ता फोरम में कार्यभार ग्रहण कराया जाय तथा उसकी सूचना शासन को भी प्रेषित की जाय। निबन्धक, राज्य आयोग कृपया नियुक्त अभ्यर्थी/ अभ्यर्थिनी को फोरम में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति देने से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र कि नियुक्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी वर्तमान में किसी रोजगार अथवा व्यवसाय में लिप्त नहीं है, प्राप्त कर संतुष्ट होने की दशा में अनुमति देने का कष्ट करेंगे।

(4) जिलाधिकारी (एटा, बरेली, सुल्तानपुर, कानपुर नगर, फर्रूखाबाद, बिजनौर, बागपत, आगरा, सीतापुर, रामपुर, चन्दौली)।

.....4/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) जनपदीय कोषाधिकारी (एटा, बरेली, सुल्तानपुर, कानपुर नगर, फर्रूखाबाद, बिजनौर, बागपत, आगरा, सीतापुर, रामपुर, चन्दौली)।

(6) निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।

(7) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग, उ0प्र0।

(8) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(9) सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि यह नियुक्ति इस शर्त के अधीन है कि चरित्र सत्यापन के उपरांत निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा सम्बन्धित जिला उपभोक्ता फोरम में कार्यभार ग्रहण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। चरित्र सत्यापन में यदि अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। निबन्धक, राज्य आयोग से कार्यभार ग्रहण सम्बन्धी पत्र प्राप्त होने पर पन्द्रह दिवसों के अंदर आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि अभिलेखों के मूल प्रमाण-पत्रों तथा वर्तमान में किसी रोजगार अथवा व्यवसाय में लिप्त नहीं हैं, के शपथ - पत्र सहित राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का कष्ट करें, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है (द्वारा रजिस्टर्ड डाक)।

(10) सम्बन्धित जिला उपभोक्ता फोरम (एटा, बरेली, सुल्तानपुर, कानपुर नगर, फर्रूखाबाद, बिजनौर, बागपत, आगरा, सीतापुर, रामपुर, चन्दौली) द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग।

(11) मीडिया प्रभारी, मुख्य सचिव/विशेष कार्याधिकारी (मीडिया), उ0प्र0 शासन।

(12) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

हरिश्चन्द्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Upbhokta Sanrachan Evam Bant Map Anubhag -2
No. 13/2015/C.P 445/ 84-2-2015-C.P. 6/2014
Lucknow :: Dated :: 01 June, 2015

Notification

In Pursuance of the Provisions of clause (3) of Article-348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 13/C.P 445/ 84-2-2015-C.P. 6/2014 dated 01 June, 2015

No. 13/2015/C.P 445/ 84-2-2015-C.P. 6/2014
Lucknow :: Dated :: 01 June, 2015

In exercise of the powers under Section-10 of the Consumer Protection Act, 1986 (Act no. 68 of 1986), the Governor, on the recommendation of the selection committee constituted under subsection (1-A) of the said Section, is pleased to appoint the person mentioned in column 3 of the Schedule given below to the office of the **General Member or Female Member** as mentioned against column 5 with effect from the date of their taking over charge for five years or upto the age of 65 years which ever is earlier in the Consumer Disputes Redressal Forum to be known as the District Forum of district mentioned against each in column 2 of the said schedule, any previous notifications relating to the constitution of the District Forums included in the said schedule shall stand modified accordingly.

2- Registrar, State Consumer redressal Commission, U.P. Lucknow shall ensure that relevant papers regarding eligibility as given in the advertisement and character verification certificate from District Magistrate/Superintendent of Police of the persons appointed are duly scrutinized before joining.

SCHEDULE

Sl. no.	Name of the District Forum	Name and address of the person appointed	Date of Birth of the person appointed	Name of the post
1	2	3	4	5
1	Etah	Sri Bhupendra Kumar S/o Sri Pooran Chandra Village & Post Bhagipur, Distt-Etah.	10.06.1976	General Member (Whole Time)
2	Bareilly-I	Mohd. Kamar Ahmad S/o Mohd. Umar, Azamnagar, Distt. Bareilly.	08.10.1979	General Member (Whole Time)
3	Sultanpur	Smt. Vidya Yadav W/o Sri Narendra Bahadur Yadav Village-Bhagtipur, Post-Narayanpur Kala (Dostpur), Distt. Sultanpur.	15.01.1961	General Member (Whole Time)
4	Kanpur Nagar	Sri Purushottam Singh S/o Late Sri Rampal Singh (Re appointment), Village-Amena, Post - Jafrabad, Tahseel-Bindki, Distt. Fatehpur.	02.07.1972	General Member (Whole Time)

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5	Farrukhabad	Sri Pramod Kumar S/o Sri Sant Ram Yadav Village & Post Saraiya maphi, Thana-Baldiram, Block- Dhanpatganj, Disttt. Sultanpur.	26.08.1978	General Member (Whole Time)
6	Bijnore	Sri Narendra Singh Teotia S/o Late Sri Ikthiar Singh 4/4, Vivekkhand, Gomtinagar thane ke samne, Gomtinagar, Distt. Lucknow.	31.07.1953	General Member (Whole Time)
7	Baghpat	Smt. Nirmala Singh D/o Sri Bhagat Singh Verma C-902, Shubhkamna apartment, Plot No. F-31, Sector-50, Noida, Distt. Gautambudh nagar-201305	29.06.1961	General Member (Whole Time)
8	Agra-II	Smt. Pratibha Tomar W/o Sri Shreepal Singh Tomar 47, Kailash Vihar, Nikat Khel Gaun, Dayalbagh, Distt. Agra.	25.09.1974	Female Member (Whole Time)
9	Sitapur	Smt. Renu Saxena W/o Sri Sunil Kumar Saxena (Re appointment), 340/58, B.L. Tewari road, Mehdi Ganj, Distt. Lucknow	05.06.1967	Female Member (Whole Time)
10	Rampur	Smt. Shahla Akbar W/o Sri Akbar Masood A-14, ICICI Bank Green Valley colony, Diamond road, Rampur.	11.05.1965	Female Member (Whole Time)
11	Chandauli	Smt. Shashi Yadav W/o Sri Ajay Kumar Yadav C-20/14, Pishach Mochan, Chetganj, Varanasi (w.e.f. 31-05-2015)	01.01.1968	Female Member (Whole Time)

BY ORDER,

B. M. Meena
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।